



मालगो | वाई नं.-8 अ.क्षे.मानगो | 16421 | विनोद कुमार सिंह

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
712	19	0 एकड़ 56.6 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2023-2024)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष (2020-2021)	२ रा वर्ष (2021-2022)	१ ला वर्ष (2022-2023)	
माल (नकदी)	650.00		650.00	650.00	650.00	650.00
गुजारी (भावली)	162.50		162.50	162.50	162.50	162.50
सेस	325.00		325.00	325.00	325.00	325.00
सूद	325.00		325.00	325.00	325.00	325.00
मुतफरकात	130.00		130.00	130.00	130.00	130.00
मीजान	1592.50		1592.50	1592.50	1592.50	1592.50

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत	तीन वर्ष से ज्यादा	बकाया			मोतालबा हाल (2023-2024)	फाजि
		३ रा वर्ष (2020-2021)	२ रा वर्ष (2021-2022)	१ ला वर्ष (2022-2023)		
माल (नकदी)		650.00	650.00	650.00	650.00	
गुजारी (भावली)		162.50	162.50	162.50	162.50	
सेस		325.00	325.00	325.00	325.00	
सूद		325.00	325.00	325.00	325.00	
मुतफरकात		130.00	130.00	130.00	130.00	
मीजान अदायकारी		1592.50	1592.50	1592.50	1592.50	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : Six Thousand Three Hundred Seventy Rupees

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 6370.00

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 06-05-2023

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान ।

CORRECTION SLIP SHOWING MUTATION IN RESPECT OF TENANCIES ESTATED IN GOVT.

District : East Singhbhum

Sub-division : Dhalbhum

Circle/Anchal : Golumri-cum-Jugsalai

Halke No 12

Sl. No.	Mutation case number in Register 27	Village	Thana and Thana Number	Kheta No.	Authority Sanctioned in mutation with date of order	Whether mutation is due to sale gift exchange succession or partition	Full details of exchange affected by mutation	Date of correction by the Halke Register by the karmachari
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	$\frac{526}{98-99}$	अधिर क्षेत्र गाँव	Ghatsila वार्ड नं 8	712	Anchal Adhikari 30/12/98	विक्री क्षेत्र खेता $\frac{427}{31/7/96}$	विनोद कुमार सिंह पिता प्रसिद्ध नाल सिंह सां. ले. नं. 35 वारदादी के पक्ष में नामांतरण किया। जि. नं. 22का 19 0-23-00 हेक्टर मसाला - सी. ए. ए. प्रति कमा अलायंस के वारिधिस।	

Forwarded to the Karmachari, Halke No. 12 D.D. Sunday For information and necessary actionAnchal Adhikari
Jamshedpur30/12/98
30/12/98

896 5000Rs.



Handwritten notes and calculations: 22 or 332/293, 88.220500, 88.3000, 2505000, 3.2.96

Subhra Kanti Biswas

Handwritten signature and date: 2/2/96

SALE DEED

THIS DEED OF SALE IS MADE ON THIS THE 3RD DAY OF FEBRUARY, 1996 AT JAMSHEDPUR, B Y :-

SRI SUBHRA KANTI BISWAS , Son of Sri Santosh Kumar Biswas, by faith Hindu, by nationality Indian, by occupation business, resident of Holding No. 17, Sukhiya Road, No. 10 Basti, Golmuri, P.S. Colmuri, in town Jamshedpur, Dist. Singhbhum East, hereinafter called the SELLER (Which expression shall unless repugnant to the context include his heirs, successors, administrators and representative) of the ONE PART ;

IN FAVOUR OF

SRI BINOD KUMAR SINGH, Son of Sri Prashidhya Nath Singh, by faith Hindu, by nationality Indian, by occupation business, resident of Holding No. 35, New Baradwari



Selva Kanti
Biswas
2-6-96

// 2 //

P.S. Sitaramdera, in town Jamshedpur, Dist. Singhbhum East, hereinafter called the PURCHASER (which expression shall unless repugnant to the context include his heirs, successors, administrators, representative and assign) of the OTHER PART :


NATURE OF TRANSFER : S A L E .

CONSIDERATION AMOUNT : Rs. 1,50,000/- (Rupees One lakh fifty thousand) only :

SCHEDULE

ALL THAT piece and parcel of raiyati agricultural land measuring an area 0.23.00 Hec. i.e. 0-35-0 Kathas (Thirty five Kathas) in Plot No. 19, under Khata No. 712, recorded

Cont..3/



*Sulchra Kanti
Barnas*
3.2.96

// 3 //

in Ward No. 8, M.N.A.C., in Mouza Pardi, P.S. Mango, Thana No. 1641, in town & Dist. Sub-Registry office at Jamshedpur, Dist. Singhbhum East,

Which is bounded and butted as follows :- That is to say ;

On the North By : Road ;

On the South By : Plot No. 16, 17, part of Plot No.20 ;

On the East By : Part of Plot No. 20, belongs to Santosh Biswas & others ;

On the West By : Plot No. 18 and Ashram ;

Annual rent Rs. 11.10 paise only, payable to the landlord; the State of Bihar, through C.O. at Jamshedpur ;

WHEREAS the Seller is the sole, exclusive and lawful owner of ALL THAT land more particularly mentioned in the schedule above ;



*Subhra Kanti
Biswas
3.2.96*

// 4 //

AND WHEREAS the Seller has acquired the said land from his grand mother (father's mother) Smt. Suniti Sudha Biswas Wife of Mohitosh Biswas of 17, Sukhia Road, Golmuri, Jamshedpur, by way of Gift, bearing No. 4071, dated 05-11-1992, registered at Jamshedpur Dist. Sub-Registry office and came in physical possession over the said land;

AND WHEREAS the said land has been mutated in the exclusive name of Sri Subhra Kanti Biswas (Seller) in the office of the Superior Landlord through the office of Learned C.O. at Jamshedpur vide Mutation Case No. IX/ 11/118/92-93 order dated 14.12.92 and the Seller has been in possession by growing various Crops and seasonal vegetable over the land without any interruption from any corner and by payment of due ground rent and other taxes thereof ;



*Sulbna Kanti
Biswas*
3. 2. 96

// 5 //

AND WHEREAS the Seller has agreed with the purchaser for ABSOLUTE SALE of the said land to the purchaser for a total consideration amount of Rs. 1,50,000/- (Rupees One lakh fifty thousand) only ;

NOW THIS DEED OF SALE WITNESSETH :-

That in pursuance of the aforesaid agreement and in consideration a sum of Rs. 1,50,000/- (Rupees One lakh and fifty thousand) only, the purchaser paid to the

100Rs.



*Sulchra Kanti
Bairavas
3.2.96*

// 6 //

Seller a sum of Rs. 1,50,000/- (Rupees One lakh fifty thousand) only, which sum the seller does hereby accept, acknowledge as full, final and highest consideration amount of the said land and does hereby convey his said land to the purchaser by this deed of sale ;

That the all rights, title and interest of the said land of the seller are now vested to the purchaser and the purchaser with his heirs and successors will have enjoyed and possess the same for ever without any interruption from the side of the seller and his heirs and successors ;

Cont..7/

100Rs.



Sibhwa Kanti
Prasad
3. 2. 96

// 7 //

That the Seller or his heirs and successors will have no claim over the land hereby conveyed by this deed of sale ;

That the ground rent of the said land of the seller are now paid by the purchaser in place of the seller and the seller also gave delivery possession of the land in favour of the Purchaser and he will be at liberty to get his name mutated and recorded in the office of C.O. at Jamshedpur in respect of the said land with his own name ;

Cont..8/



Sulbha Kant
Bairava
3.2.96

// 8 //

That the land hereby conveyed is free from all
 encumbrance, charges and liens and prior to this sale
 the seller has not alienated or part thereof to any
 other third party or concern and if for any defect
 of title of the Seller the purchaser suffers any loss

75 Rs.




Subba Kantu
Binniah
3-2-96

// 9 //

in respect of the said land or part thereof, within
the Seller or his heirs will be bound to make good
any loss sustained by the purchaser and his heirs :

Cont..10/



Sulchura Kanti
Biswas
3-2-96
// 10 //

IN WITNESS WHEREOF the Seller doth hereunto set
his hand today at Janshedpur on this the day, month and
year first above written.

Read over and explained the contents of this deed
to the executant who admit it to be correct. Aline
3/2/96

WITNESSES :-

1. San
Sanjiv Kumar Singh.
3/2/96
2. CS
3/2/96

Typed By :-
U. K. Ghosh
Jsr. Court.

Drafted By :-
(Advocate) 3/2/96

Schedule Spl. N. S. Form No. V40

CORRECTION SLIP SHOWING MUTATION IN RESPECT OF TENANCIES IN ESTATED IN GOVT.

District : **East Singhbhum**

Sub-division : **Dhalbhum**

Circle/Anchal : **Golmuri-cum-Jugsalai**

Halka No. 18

Sl. No.	Mutation case number in Register 27	Village	Thana and Thana Number	Khata No.	Authority Sanctioning mutation with date of order	Whether mutation is due to sale gift exchange succession or partition	Full details of exchange affected by mutation	Date of correction in the Halka Register by the karmachari
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>526</u> १४-११	अधिरक्षेत्र गाँव	Ghatsila वार्ड नं० ४	712	Anchal Adhikari ३१/१२/४४	विक्री के खंडा ५२७ ३/१२/४४	विक्रोद कुमार सिंह पिता प्रसिद्ध नाल सिंह सां. हे. नं. ३५ पारदायी के पक्ष में नाजा प्रण लीक्षण। फ्लॉट नं. २५वां १९ ०-२३-०० हेक्टर मजान - वीरलक्ष्मी प्रति कक्षा अलाइफ के वा. वि. के।	



Forwarded to the Karmachari, Halka No. 18 D.D. Secretary For information and necessary action

Anchal Adhikari
Jamshedpur

३१/१२/४४

Sulbha Kanti
Bennal
3. 2. 96



100Rs.

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाणपत्र तैयार किया: **डा. अरवि निबंधन अधीनस्थ - बड़वाड़ा में**

(स्थान):— **कलकत्ता** अरवि निबंधन अधीनस्थ अवधि के **अनुसंधान संख्या (2) का क्रमांक 9-92**


नलाशी का संव्यवहार और अवधारों की जांच निम्न व्यक्तियों ने की **32-92-22 तक किया है पर**

(व्यक्ति):— **चला कि श्री. परशूराव राम साहू**
वासा नं. 9687 को नं. 2 अ. सं.

(व्यक्ति):— **र. सी. खन्ना नं. 692 को नं. 1**
श्री. 32 अ. सं. अमानत खन्ना

कार्यालय **बड़वाड़ा**
मार्ग से मुक्त है।

दिनांक **9-11-98**



टिप्पणी:— इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वे भी दस्तावेजों के प्रामाणिक संव्यवहार (ट्रांजेक्शंस) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

- (1) निबन्धन अधिनियम की धारा 56 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देवना चाहते हैं, अथवा जो उनका प्रतिरूप लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें निर्विच्छेद संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। बिहित फीस का भुगतान करने पर बहियां और अनुक्रमणियां उनके सामने रख दी जायेंगी।
- (2) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, बिना प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।
- (3) और, चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दूरे गये संव्यवहारों और अवधारों को संव्यवहार के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है, इसलिए बिना आवेदक द्वारा न दूरे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

मार्गदर्शक के रूप में कि उपरोक्त संस्थाओं के अधिकारियों को, जिन संस्थानों की प्रशासनिक दस्तावेजों का निष्काशन आवश्यक है, के संबंध में सूचना दी जाती है।

प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में सूचना दी जाती है।

Sir,
10-11-98
10-11-98

आज्ञा संख्या: 692/2000-2001
आज्ञा संख्या: 692/2000-2001

2. 10-11-98
10-11-98
10-11-98
10-11-98





10-11-98
10-11-98

- (1) प्रत्येक संस्था को अपने संस्थागत और प्रशासनिक दस्तावेजों का निष्काशन करने के लिए आवश्यक है।
- (2) प्रत्येक संस्था को अपने संस्थागत और प्रशासनिक दस्तावेजों का निष्काशन करने के लिए आवश्यक है।
- (3) प्रत्येक संस्था को अपने संस्थागत और प्रशासनिक दस्तावेजों का निष्काशन करने के लिए आवश्यक है।

10-11-98


यह भी प्रमाणित करता है कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

हस्ताक्षर 
 पदनाम— 
 28/4/2003

प्रमाणित किया जाता है कि जिला
 उपर विप्लव कार्यालय, जयपुर
 के अस्था: 01.01.1990 से
 28.4.2003 तक अनुक्रमणिका सं.
 II को देखने से पता चलता है



तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने का


हस्ताक्षर 
 पदनाम 
 28/4/2003

कि मौज्जा-पारसीहवाणा
 मानगी योजना नं 1641 वाड नं.8
 खाता नं 712 ब्लॉक नं 19
 इकाया 23 (इकाया 6-35-0 कट्टा)
 लागू प्रणाली अपर देखे गये हैं
 उपरोक्त सत्यापन प्रमाणित
 है पता चलता है कि प्रमाणित
 विधि-उपेक्षाओं का पता नहीं
 चल रहा है

कार्यालय जिला उपर विप्लव कार्यालय

तारीख 28-4-2003

निबंधन 
 निबंधन 
 28-4-2003



टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर इन्हीं संपत्तियों को निवन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वे संपत्ति दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेक्शन्स इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधन अभिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डक्स) को प्रविष्टियां देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपी लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिविष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियां और अनुक्रमणियों को उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की विसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा हूँद गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिये विभाग द्वारा हूँद गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों को छुट के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा। जिसमें उक्त संपत्ति पर प्रभाव न पडता हो।

अनु० - २१ - प्र० सं० ११३ दो पी०

यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने
किसी अन्य संव्यवहारों और अवधारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण पत्र तैयार किया।

हस्ताक्षर -

[Handwritten Signature]

पदनाम -

16.12.2023

प्रमाणित किया जाता है कि जिला
अल्प निबंधन कार्यालय अजमेर
द्वारा दिनांक 01.01.2023 से

15.12.2023 तक अनुक्रमणी

सं. II को देखने के पत्र चलता
है कि सीमा पार सीह धाना

मानसी धाना नं. 1641 वाई नं.

8 खाना नं. 712 प्लॉट नं. 19

क्षेत्रफल 0.35 कड़र अर्थात् 3500 म²
से कुछ है।

उपरोक्त सत्यापन पत्र
के पत्र चलता है कि प्रमाण में दिया
जाये अर्थात् प्रमाण माहौल मुक्त
है।

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण पत्र का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

हस्ताक्षर -


[Handwritten Signature]
16.12.2023

पदनाम -

कार्यालय -
जिला अल्प निबंधन कार्यालय अजमेर

तारीख 16.12.2023

निबंधन प्रमाणित करने का हस्ताक्षर
16.12.2023



टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवधारों दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत
संपत्ति विवरण के अनुसूची पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं
सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो ऐसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार
ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 52 के अधीन जो बहियाँ और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) को प्रविष्टियाँ
देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा उन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के
प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी
अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी
किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दूढ़े गये
संव्यवहार और अवधारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे
संव्यवहार और अवधारों को छूट के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभाव पड
ता हो।

यह भी प्रमाणित करता है कि उपरोक्त संख्याधारों को छोड़कर एक सम्पत्ति को प्रभावित करने वाली किसी अन्य संख्याधारों और अवधारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण पत्र तैयार किया।

5110110213
 5110110213
 5110110213
 11.03 to 22.2.1988
 5110110213
 5110110213
 5110110213
 1641 वा. नं. 82 वा. नं. 712
 712 वा. नं. 192 वा. नं. 35
 5110110213
 5110110213
 5110110213

हस्ताक्षर - 211, 0110213

पदनाम - 511-2-14

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण पत्र का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

हस्ताक्षर - 5110110213

पदनाम - 5110110213

कार्यालय - 5110110213

तारीख 511-2-14

निबंधन पदाधिकारी/हस्ताक्षर

5110110213

टिप्पणी - इस प्रमाण पत्र में और संख्याधारों और अवधारों-दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विकरण के अनुसार पाये गये हैं। मति-आवेदक द्वारा दिए गए विकरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबन्धित दरखास्तों में दिखाया गया हो तो, वेसे दस्तावेजों से प्रमाणित संख्याधार ट्रान्जेक्शन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 की अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) को प्रतिष्ठियों देयता चाहते हैं, अथवा जो इनकी प्रतिष्ठिति लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिविष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जर्नल हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करने होगी।
(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामलों में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी आन भर तक सहायता से की है किन्तु प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा बूढ़े गये संख्याधार और अवधारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग द्वारा बूढ़े गये ऐसे संख्याधार और अवधारों को छूट के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आपाव पत्र था हो।

INSTRUCTIONS:

- Prescribed Original ID proofs are: Voter Identity Card / Passport / PAN Card / Driving License / Photo ID card issued by Central / State Govt. / Public sector / Unpublished of State / Central Government, District Administrations, Municipal Locates and Panchayat Administrations which are having serial number / Student Identity Card with photograph issued by recognized School or College for their students / Nationalized Bank Passbook with photograph /Credit Cards issued by Banks with laminated photograph/Unique Identification Card "Aadhaar", in Aadhaar, e-Aadhaar, /Passenger showing the Aadhaar/Driving License from the Issued Document section by logging into his/her Digilocker account considered as valid proof of identity. (Documents uploaded by the user i.e. the document in 'Uploaded Document' section will not be considered as a valid proof of identity).
- PNRS having fully waitlisted status will be dropped and automatic refund of the ticket amount after deducting the applicable CLERRAGE by Railway shall be credited to the account used for payment for booking of the ticket. Passengers having fully waitlisted e-ticket are not allowed to board the train. However, the names of PARTIALLY waitlisted/confirmed and RAC ticket passenger will appear in the chart and will be allowed to board the train.
- Passengers travelling on a fully waitlisted e-ticket will be treated as Ticketless.
- Obtain certificate from the TTE /Conductor in case of (a) PARTIALLY waitlisted e-ticket when LESS NO. OF PASSENGERS travel, (b)A C/FALLURE, (c)TRAVEL IN LOWER CLASS. This original certificate must be sent to GGM (IT), IRCTC, Internet Ticketing Centre, IRCA Building, State Entry Road, New Delhi-110055 after filing TDR online within prescribed time for claiming refund.
- On a party e-ticket or a family e-ticket issued for travel of more than one passenger, some passengers have confirmed reservation and others are on RAC or waiting list; full refund of fare, less clerharge, shall be admissible for confirmed passengers also subject to the condition that the ticket shall be cancelled online or online TDR shall be filed for all the passengers upto thirty minutes before the scheduled departure of the train.
- In case train is late more than 3 hours, refund is admissible as per railway refund rules only when TDR is filed by the user before the actual departure of the train at boarding station and passenger has not travelled.
- In case of train cancellation on its entire run, full refund is granted automatically by the system. However, if the train is cancelled partially on its run or diverted and not touching boarding/destination station, passengers are required to file online TDR within 72 hours of scheduled departure of the train from passengers boarding station.
- Never purchase e-ticket from unauthorized agents or persons using their personal IDs for commercial purposes, Such tickets are liable to be cancelled and forfeited without any refund of money, under section (143) of the Indian Railway Act 1989. List of authorized agents are available on www.irctc.co.in under 'Find Nget Agents' option.
- For detail, Rules, Refund rules, Terms & Conditions of E-Ticketing services, Travel insurance facility etc. Please visit www.irctc.co.in
- While booking this ticket, You have agreed of having read the Health Protocol of Destination State of your travel. You are again advised to clearly read the Health Protocol advisory of destination state before start of your travel and follow them properly.
- The IR forms are available with on board ticket checking staff, train guard and train escorting RPF/GRP staff.
- Variety of meals available in more than 1500 trains. For delivery of meal of your choice on your seat (log on to www.catering.irctc.co.in or call 1323 Toll Free. For any suggestions/complaints related to Catering services, contact Toll Free No: 1800-111-321 (07.00 Hrs to 22.00 Hrs)
- National Consumer Helpline (NCH) Toll Free Number: 1800-11-400 or 14404
- You can book unreserved ticket from UTS APP or ATVMs (Automatic Ticket Vending Machines) located in Railway Stations.

Contact us on: - care@irctc.co.in OR 24*7 Hrs Customer Support at 14666 OR 0755-6610661, 0755-4090600



INTERNATIONAL YEAR OF
MILLETS
 2023



Helpline No. 1930
 and register your complaint at
www.cybercrime.gov.in

अगर आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हैं
 If you are a victim of cybercrime



Visit www.IVRS.IN
 Download
 Voter Helpline App
 The new assistance
 01950

हर वोट है जरूरी!

अगर वोट के समय में आपकी तकलीफ़ें हों

Every Vote Matters.

Enroll yourself as a voter today!